

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

राजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222090

www.govdentalcollegearaypur.in

Email-govdentalcollege@gmail.com (GST-22JBPS02579D1D2)

क्रमांक 5291

जीडीसी/गैटें/AMC-CMC/2024

रायपुर, दिनांक 23/12/24

कोटेशन सूचना

Quotation Notice

विषय:- सी.सी.टी.वी (CCTV Camera) कैमरो का वार्षिक रखरखाव (AMC) किये जाने हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत करने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं कार्यालय में स्थापित सी.सी.टी.वी कैमरो का वार्षिक रखरखाव (AMC) किया जाना है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मों से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	संख्या	यूनिट प्राईज	जी.एस.टी.	कुल राशि
01	सी.सी.टी.वी कैमरो का वार्षिक रखरखाव (ए.एम.सी.)	कुल 45 नग			

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 03/01/2025 शाम 5:30 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त होने वाले कोटेशन/दर पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं शर्तें:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
- कैमरो का सर्विस कार्य कार्यालय में ही संपादित करनी होगी, अति-आवश्यक होने पर ही सिस्टम कार्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
- लिफाफे के उपर कोटेशन क्रमांक एवं विषय का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- सर्विस प्रदाता फर्म को उक्त कार्य हेतु कुल आदेशित राशि का 5% राशि सुरक्षा निधि/अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./बैंक गारंटी जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- जिन सिस्टम का मरम्मत कार्य किया जायेगा उसके बदले जाने वाले पार्ट्स को संबंधित विभाग/शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली गई फर्म मान्य नहीं होगी।
- प्रदायित सर्विस कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अन्यथा ए.एम.सी. निरस्त की जा सकती है एवं वार्षिक रखरखाव के भुगतान की राशि की वसूली भी किया जायेगा जिसके जिम्मेदार फर्म स्वयं होंगे।
- दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी।

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर